राज्य परियोजना कार्यालय
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
(उच्च शिक्षा विभाग)
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 610 /2016/ नया रायपुर, दिनांक 02/05/2016

प्रति,

कलेक्टर(समस्त)
छत्तीसगढ़।

विषयः 'मुख्यमंत्री महाविद्यालयीन युवा जीवन कौशल विकास कार्यक्रम' के क्रियान्वयन बावत।

संदर्भः छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक 524/आर/301/2015/38–1 दिनांक 2.2.2016.

–0–

विषयांतर्गत संलग्न शासनादेश क्र. आर/301/2015/38–1 दिनांक 30.4.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत 'मुख्यमंत्री महाविद्यालयीन युवा जीवन कौशल विकास कार्यक्रम' के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। यह कार्यक्रम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जिसके माध्यम से आपके जिले के महाविद्यालयीन युवाओं को अंग्रेजी भाषा, कम्प्यूटर शिक्षा एवं सामान्य व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाना है। इससे उनकी रोजगारपरकता में वृद्धि होगी। कार्यक्रम का क्रियान्वयन 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' के समदृष्टि पहल घटक (Equity Initiative Component) अंतर्गत किया जाना है। इस हेतु धनराशि 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

शासन की मंशा है कि योजना का क्रियान्वयन आगामी शैक्षणिक सत्र से आवश्यक रूप से किया जाए। इस हेतु आवश्यक होगा कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप आपकी अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक तत्काल बुलाई जावे एवं निविदाएं तत्काल आमंत्रित की जावें। योजना के संबंध में गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा (परिशिष्ट–एक), योजना से संबंधित मार्गदर्शिका (परिशिष्ट–दो), निविदा आमंत्रण हेतु प्रादर्श प्रारूप (परिशिष्ट–तीन) संलग्न प्रेषित है। स्पष्ट किया जाता है कि जिले की स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप इसमें आपकी अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा यथायोग्य संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति में कोई कठिनाई न हो।

यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में इसे लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' के अंतर्गत इस कार्यक्रम हेतु सीमित धन राशि उपलब्ध है। अतः आपके जिले के लिए छात्र संख्या का निर्धारण किया गया है। शासन की अपेक्षा है कि प्रथम चरण में निर्धारित संख्या में छात्रों को ही उक्त कार्यक्रम से लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। यदि उक्त संख्या से अधिक छात्र कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक हों तो उनसे संपूर्ण व्यय राशि लिया जाकर योजना का लाभ दिया जा सकता है। इस संबंध में योजना मार्गदर्शिका में उल्लेखित विस्तृत विवरण का अवलोकन किया जा सकता है। योजना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई होने पर अधोहस्ताक्षरी के दूरभाष क्र. 0771–2510208 एवं मो. नं. 9406268111 पर संपर्क किया जा सकता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(भुवनेश यादव)
संयुक्त सचिव एवं परियोजना संचालक(रूसा)
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक 611 /2016/ नया रायपुर, दिनांक 02 /5/2016

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
4. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
5. संयुक्त सचिव (रूसा), भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली
6. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
7. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
8. अपर संचालक,'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
9. समस्त क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, ————————छत्तीसगढ़
10. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, छ.ग.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. आदेश फोल्डर

संयुक्त सचिव एवं परियोजना संचालक (रूसा)
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग,